

न्यायालय उपजिलाधिकारी खलीलाबाद, जनपद- संत कबीर नगर

नाम संख्या - 26/2010

चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी-142 ए
पाकेट-बी मयूर बिहार फेस-2 दिल्ली द्वारा
जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग पुत्र
श्री ओमप्रकाश मुकुण्डगर्ग पता- स्कीम नं०- 08
गांधी नगर इक्सटेंशन अलवर राजस्थान
बनाम

अन्तर्गत धारा-143 ज०विनाश
अधिनियम, साकिन - मुजैनी,
तप्पा- रामपुर पैली, परगना- मगहर
पूरव, तहसील- खलीलाबाद,
जनपद- संत कबीर नगर ।

राज्य सरकार

निर्णय

चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी -142 ए पाकेट- बी मयूर बिहार फेस-2 दिल्ली जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी एक पंजीकृत संस्था है। जिसका वैधानिक पंजीकरण संख्या- 64741/2009 है। उपरोक्त संस्था का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थान, कालेज, यूनिवर्सिटी तथा मेडिकल एजुकेशन आदि संस्थाओं को स्थापित करना है। सोसाइटी ने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए मूखण्ड वजरिए बैनामा प्राप्त किया है। शैक्षणिक संस्थान स्थापित होने से शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उक्त संस्थान जनहित में स्थापित हुआ है। संस्थान की भूमि पूर्णतः अकृषिक रूप में प्रयोग हो रही है। आराजी संख्या- 330 मि० /2.529 हे०, 380/0.527 हे०, 387/0.126 हे०, 373/0.126 हे०, 379/0.567 हे० तथा 382 मि०/0.182 हे० शिक्षण संस्थान में प्रयुक्त होने के कारण शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित किया जाय।

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार खलीलाबाद से करायी गयी। तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक- 13.08.2010 के अनुसार ग्राम- मुजैनी, तप्पा- रामपुर पैली के आराजी संख्या- 330 मि० /2.529 हे०, 380/0.527 हे०, 387/0.126 हे०, 373/0.126 हे०, 379/0.567 हे० तथा 382 मि०/0.182 हे० चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी -142 ए पाकेट- बी मयूर बिहार फेस-2 दिल्ली द्वारा जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग पुत्र ओमप्रकाश गर्ग पता- स्कीम नं०- 08 गांधी नगर इक्सटेंशन अलवर-राजस्थान के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त गाटा में कृषि कार्य नहीं किया जाता है। शैक्षणिक संस्थान हेतु गृहारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। आराजी निजाई पूर्णतः अकृषिक हो चुका है। उक्त आराजी निजाई को शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रेषित है।

मैने सायल के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गाटा संख्या- 330 मि० /2.529 हे०, 380/0.527 हे०, 387/0.126 हे०, 373/0.126 हे०, 379/0.567 हे० तथा 382 मि०/0.182 हे० चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल सोसाइटी -142 ए पाकेट- बी मयूर बिहार फेस-2 दिल्ली जनरल सिक्रेटरी चैतन्य प्रकाश गर्ग के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त गाटा में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आराजी निजाई में गृहारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। आराजी निजाई पूर्णतः अकृषिक हो चुका है। आराजी निजाई को शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है तथा तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक- 13.08.2010 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार खलीलाबाद की आख्या दिनांक- 13.08.2010 स्वीकार किया जाता है। ग्राम- मुजैनी, तप्पा- रामपुर पैली के आराजी संख्या- 330 मि० /2.529 हे०, 380/0.527 हे०, 387/0.126 हे०, 373/0.126 हे०, 379/0.567 हे० तथा 382 मि०/0.182 हे० को शैक्षणिक संस्थान/अकृषिक घोषित किया जाता है। परगना जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक खलीलाबाद को भेजी जाय। यदि आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 18.08.2010

Chaitanya Bharat Pharmacy College

Gen. Secretary/Director

For Chaitanya Bharat Pharmacy College

(सुरेश चन्द्र)

Secretary/Chairman



V.D. $\frac{2}{7}$

21/01/10

सं० - 271
फ़ॉस - 7
सीट - 2
अनु० शब्द - 390

न्यायालय उपजिलाधिकारी, खलीलाबाद, सं० ००१

चैतन्य भारत सोसल प्रमोशनल
सोसाइटी - 142 ए पाकेट - बी
मयूर विहार फ़ैस - 2 दिल्ली
द्वारा जनरल सिक्रेटरी चैतन्य
प्रकाश गर्ग पुत्र श्री जीमप्रकाश
गर्ग पता - स्कैम न० - 08 गोंधी
नगर इन्स्टीटयन अलवर राजस्थान

बनाम

राज्य सरकार ।

वाद संख्या - 26 धारा - 143
अ० वि० अधिनियम, मीजा
मुजैनी तप्पा रामपुरपैली
परगना - मगहर प्रख
तहसील - खलीलाबाद
जनपद - सत कबीर
नगर ।

नकल आदेश दिनांक 18-08-2010

नोट :- उक्त की छायाप्रति संलग्न है।



For Chaitanya Bharat Private Ltd
Chaitanya
Locatary/Chaitanya